चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

Ch. Charan Singh University, Meerut

पत्रांक पी0ए0/2784
दिनांक 19.06.2020

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या/सचिव/निदेशक,
समस्त नर्सिंग महाविद्यालय
सम्बद्ध चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय,
मेरठ।

महोदय/महोदया,

अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय के द्वारा किसी भी नर्सिंग महाविद्यालय/संस्थानों को कोई भी ऐसा पत्र/आदेश निर्गत नही किया गया है कि आपके महाविद्यालय में अध्ययनरत जी0एन0एम0/पोस्ट बेसिक बी0एस–सी0 नर्सिंग/बी0एस–सी0 नर्सिंग/एम0एस–सी0 नर्सिंग पाठ्यक्रम के अन्तिम वर्ष के छात्र/छात्रायें महाविद्यालय में न आयें। संज्ञान में लाया गया है कि कतिपय नर्सिंग महाविद्यालय/संस्थानों के जी0एन0एम0/पोस्ट बेसिक बी0एस–सी0 नर्सिंग/बी0एस–सी0 नर्सिंग/एम0एस–सी0 नर्सिंग पाठ्यक्रम के अन्तिम वर्ष छात्र/छात्रायें महाविद्यालय में नही आ रहे है। उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या–1382/–2020/सी0एक्स0–03 दिनांक 31 मई, 2020 के अनुपालन में विश्वविद्यालय के पत्रांकः–पी0ए0/2730 दिनांक 01.06.2020 के द्वारा सामान्य आदेश निर्गत किये गये थे।

उक्त के क्रम में प्रमुख सचिव,चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–4 के पत्र संख्या–515/71–4–2020 दिनांक 07 मई, 2020 (संलग्न) के आलोक में मा0 कुलपति जी के आदेशानुसार आपसे अपेक्षा की जाती है कि कोविड–19 (वैश्विक महामारी) को दृष्टिगत रखते हुए आप अपने–अपने महाविद्यालय/संस्थानों में अध्ययनरत जी0एन0एम0/पोस्ट बेसिक बी0एस–सी0 नर्सिंग/बी0एस–सी0 नर्सिंग/एम0एस–सी0 नर्सिंग पाठ्यक्रम के अन्तिम वर्ष के छात्र/छात्राओं को प्रशिक्षण कराकर, उन्हें अन्य स्टाफ जैसे नर्सेज/पैरामेडिकल स्टाफ की तरह तैयार करें, जिससे अवश्यकता पडने पर इनकी सेवायें कोविड–19 वैश्विक महामारी की रोकथाम में शासन के प्रयासों के अन्तर्गत स्थापित केन्द्रों पर ली जा सकें।

संलग्नकः–यथोपरि।

भवदीय,

19-06-2020

कुलसचिव

प्रतिलिपिः–

01. सचिव कुलपति को मा0 कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
02. प्रमुख सचिव,चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–4, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
03. प्रभारी वेबसाइट।

कुलसचिव

संख्या– 515 /71–4–2020

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन

सेवा में,

1. महानिदेशक,
   चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
   उ0प्र0 लखनऊ।
2. समस्त जिलाधिकारी,
   उत्तर प्रदेश।
3. सचिव,
   उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी,
   लखनऊ।
4. कुलसचिव,
   के0जी0एम0यू0,
   उ0प्र0 लखनऊ।
5. कुलसचिव,
   उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
   सैफई, इटावा।
6. निदेशक,
   एस0जी0पी0जी0आई0 /
   डा0 राम मनोहर लोहिया
   आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
7. समस्त प्रधानाचार्य,
   राजकीय मेडिकल कालेज,
   उ0प्र0 द्वारा डी0जी0एम0ई0।
8. प्रबन्धक / प्रधानाचार्य,
   समस्त निजी क्षेत्र के नर्सिंग
   कालेज, उ0प्र0 द्वारा
   डी0जी0एम0ई0।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–4 लखनऊ : दिनांक 07 मई, 2020

विषयः–प्रदेश के राजकीय एवं निजी क्षेत्र की संस्थाओं (केन्द्र / राज्य / स्थानीय प्रशासन द्वारा घोषित हॉटस्पॉट को छोड़कर) में संचालित नर्सिंग पाठ्यक्रमों के अंतिम वर्ष के छात्र–छात्राओं का अध्ययन–अध्यापन प्रारम्भ किए जाने के संबंध में

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या–एम0ई0–3 / 2020 / 738 दिनांक 27.04.2020 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के राजकीय एवं निजी क्षेत्र में संचालित होने वाले नर्सिंग प्रशिक्षण (जी0एन0एम0 / पोस्ट बेसिक बी0एससी0 नर्सिंग / बी0एससी0 नर्सिंग / एम0एससी0 नर्सिंग) पाठ्यक्रमों की परीक्षा का आयोजन माह अगस्त 2020 में संभावित है। परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए संबंधित छात्रों की उपस्थिति भी पूर्ण की जानी आवश्यक है। इसके अतिरिक्त कोविड–19 महामारी से ग्रस्त रोगियों के मेडिकल कालेजों / संस्थानों में भर्ती होने की स्थिति में रोगियों के उपचार तथा अन्य विविध व्यवस्थाओं में भी नर्सिंग प्रशिक्षण के अंतिम वर्ष के छात्रों की सहायता मूल्यवान होगी। अतएव छात्रहित एवं व्यापक जनहित में यह आवश्यक है कि नर्सिंग प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के अंतिम वर्ष के छात्रों का अध्ययन–अध्यापन प्रारम्भ किया जाए।

2– अतएव सम्यक् विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि केन्द्र / राज्य / स्थानीय प्रशासन द्वारा कोविड–19 महामारी के दृष्टिगत घोषित हॉटस्पॉट में पड़ने वाली संस्थाओं को छोड़कर अन्य समस्त संस्थाओं में

Scanned with CamScanner

अध्ययनरत जी0एन0एम0/पोस्ट बेसिक बी0एससी0 नर्सिंग/बी0एससी0 नर्सिंग/एम0एससी0 नर्सिंग के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को दिनांक 13.05.2020 तक संस्था में उपस्थित होने के लिए निर्देशित किया जाए तथा दिनांक 15.05.2020 से उक्त पाठ्यक्रमों में अध्ययन–अध्यापन का कार्य प्रारम्भ किया जाए।

3– समस्त नर्सिंग शिक्षण संस्थाओं के प्रमुखों द्वारा अपनी–अपनी संस्था में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं की सूची, जिस जिले में नर्सिंग शिक्षण संस्था स्थित है, वहाँ के जिलाधिकारी को ई–मेल से उपलब्ध करायी जाएगी जिसमें संबंधित छात्र–छात्रा का नाम, पिता का नाम, टेलीफोन/मोबाइल नम्बर तथा वर्तमान आवासीय पता अवश्य अंकित किया जायेगा। तत्पश्चात् ऐसे नर्सिंग छात्रों के वर्तमान आवास के जिले के जिलाधिकारी को संबंधित नर्सिंग कालेज के जिले के जिलाधिकारियों द्वारा ई–मेल के माध्यम से सूची प्रेषित की जाएगी ताकि संबंधित छात्र–छात्रा के वर्तमान निवास के जिले के जिलाधिकारियों द्वारा संबंधित छात्र–छात्रा को अपने मूल नर्सिंग संस्थान तक वापस आने हेतु पास आदि निर्गत किया जा सके। सूची उपलब्ध कराने की कार्यवाही दिनांक 10.05.2020 तक पूर्ण कर ली जाए।

4– प्रशिक्षण हेतु नर्सिंग कालेज में आने वाले सभी छात्रों–छात्राओं की स्क्रीनिंग/चिकित्सा जाँच की कार्यवाही संस्था प्रमुख द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।

5– अध्ययन–अध्यापन प्रारम्भ होने के पूर्व छात्रों को कोविड–19 प्रोटोकॉल के अनुसार समस्त सुरक्षात्मक उपायों का अनुपालन भी संस्था प्रमुख द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

कृपया तदनुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डा0 रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव–</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 शासन।
3. निजी सचिव, प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
4. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन
6. अनुभाग अधिकारी, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–1, 2 व 3।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार सिंह)
उप सचिव।

Scanned with CamScanner

प्रेषक,

सचिव / रजिस्ट्रार,
उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी एवं एलाइड कौंसिल्स,
लखनऊ।

सेवा में,

समस्त प्रबन्धक / प्रधानाचार्य,
समस्त नर्सिंग कालेज,
उत्तर प्रदेश।

दिनांकः 08.05.2020

विषयः प्रदेश की राजकीय एवं निजी क्षेत्र की संस्थाओं (केन्द्र / राज्य / स्थानीय प्रशासन द्वारा घोषित हॉट स्पाट को छोडकर) में संचालित नर्सिंग पाठ्यक्रमों के अन्तिम वर्ष के छात्र–छात्राओं का अध्ययन–अध्यापन प्रारम्भ किये जाने के संबंध में।

सन्दर्भः शासनादेश कोविड–19 / महत्वपूर्ण / संख्या 515 / 71–4–2020 चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–4, दिनांक 07.05.2020 के अनुपालन के संबंध मे।

महोदय / महोदया,

उपरोक्त विषयक शासनादेश (जिसे सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न किया जा रहा है) का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

शासनादेश में स्वतः स्पष्ट है, अतः अनुपालन करने हेतु अलग से दिशा–निर्देश की आवश्यकता नहीं है।

1. यह केवल जी.एन.एम. / बी.एससी. / पोस्ट बेसिक बी.एससी. / एम.एससी. नर्सिंग प्रशिक्षण के सिफ अन्तिम वर्ष मे अध्ययनरत छात्र–छात्राओं पर ही लागू होगा। अन्य प्रशिक्षणो के लिए पूछताछ न करें।
2. हाटस्पाट को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में स्थित संस्थान ही खोले जाने है।
3. छात्र–छात्राओं को अपने–अपने संस्थानों में 13 मई, 2020 तक अवश्य ही उपस्थित हो जाना है। जिससे कि 15 मई 2020 से आपका अध्ययन–अध्यापन प्रारम्भ किया जा सके।
4. शासनादेश के बिन्दु संख्या 3 में अंकित प्रक्रिया के माध्यम से समस्त शिक्षण संस्थान के प्रमुखों द्वारा प्रारम्भ की जानी है जिससे कि छात्र–छात्रायें अपने–अपने संस्थानों में सुविधापूर्वक आ सकते है।
5. प्रशिक्षण हेतु नर्सिंग कालेज में आने वाले सभी छात्र–छात्राओं की स्क्रीनिंग / चिकित्सा जांच व अध्ययन–अध्यापन प्रारम्भ होने से पूर्व छात्रों को कोविड–19 के प्रोटोकाल के अनुसार समस्त सुरक्षात्मक उपायों की ब्यवस्था संस्था प्रमुखों द्वारा सुनिश्चित की जाये।

नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्रों के समस्त संचालक कृपया शासनादेश को ध्यान से पढ़कर तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,
सचिव / रजिस्ट्रार,
उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी एवं संबंद्ध कौसिल्स,
लखनऊ।

प्रतिलिपिः प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–4 व महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

Scanned with CamScanner